



संख्या- 519 / जी0एस0(शिक्षा) / A4-53(II) / 2021

प्रेषक,

रविनाथ रामन

सचिव श्री राज्यपाल/कुलाधिपति।

सेवा में,

कुलपति,

वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,

सुद्धोवाला, देहरादून।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड :

देहरादून : दिनांक : 25 जुलाई, 2023

महोदय,

कृपया वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के पत्र संख्या-325 एवं 326, दिनांक 26.04.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उपरोक्त सन्दर्भ के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नियामक संस्था, निरीक्षण मण्डल, कुलपति व कुलसचिव, वी०मा०सि०भ० उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 (यथा अद्यतन संशोधित) की धारा-24(2) के अधीन निम्नवत् संस्थान को उसके सम्मुख अंकित पाठ्यक्रम, सीटों एवं अवधि की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण हेतु छात्रहित में मा० कुलाधिपति द्वारा निम्नवत् उपबन्धों के साथ पूर्वानुमोदन प्रदान किया गया है :-

संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम	सीट संख्या	शैक्षिक सत्र
1	2	3	4
हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मसी एण्ड रिसर्च, अटक फार्म, पो०-राजावाला, प्रेमनगर, देहरादून।	बी०फार्मा	100	2022-23
	एम०फार्मा :		
	1. फार्मास्यूटिक्स	15	
	2. फार्मास्यूटिकल कैमिस्ट्री	15	
	3. फार्माकॉलोजी	15	

(1) प्राभूति राशि मानक अपूर्ण है। यद्यपि प्राभूति राशि के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड शासन स्तर पर कार्यवाही गतिमान है तथापि विश्वविद्यालय को निदेशित किया जाता है कि जब तक राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्राभूति राशि को पुनरीक्षित करने विषयक शासनादेश निर्गत किया जाता है, तब तक संस्थानों से पूर्व से नियत प्राभूति धनराशि जमा कराई जाय और साथ में संस्थान से प्राभूति हेतु इस आशय का शपथ-पत्र भी प्राप्त किया जाय कि प्राभूति राशि के सम्बन्ध में शासन द्वारा जो भी निर्णय लिया जायेगा वह मान्य होगा और तदनुसार प्राभूति राशि की कार्यवाही पूर्ण कर दी जायेगी।

(2) यदि संस्थान द्वारा एक या एक से अधिक विश्वविद्यालय से पाठ्यक्रम की सम्बद्धता प्राप्त की गई हो तो संस्थान समस्त पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता को एक साथ रखकर पाठ्यक्रमवार मानक पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में आख्या संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराई जायेगी तथा संस्थान से प्राप्त आख्या का परीक्षण करते हुए विश्वविद्यालय द्वारा राज्यपाल सचिवालय को उपलब्ध कराई जायेगी।

I/519/2023

I/519/2023

(3) अग्रेत्तर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव नियामक संस्था, विश्वविद्यालय एवं शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार किये जायें अन्यथा की स्थिति में अपूर्ण प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय का होगा।

(4) विश्वविद्यालय, नियामक संस्था व राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सभी मानकों के पूर्ण होने की दशा में ही कार्यपरिषद के अनुमोदन से विहित शर्तों/उपबन्धों के अधीन अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण के आदेश निर्गत करे व तत्सम्बन्धी कार्यवाही की सूचना मा0 कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ उपलब्ध कराये।

Signed by Ravinath Ramhan

भवदीय,

Date: 25-07-2023 14:24:26

(रविनाथ रामन)

सचिव श्री राज्यपाल/कुलाधिपति।

संख्या- 519 (1)/जी0एस0(शिक्षा)/A4-53(II)/2021 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

- 1 सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 2 प्राचार्य/निदेशक, संबंधित संस्थान।
- ✓ 3 कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड/फाईल हेतु।

आज्ञा से,

H/-

(स्वाति एस0 भदौरिया)

अपर सचिव श्री राज्यपाल/कुलाधिपति।